# कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर–342001

email- jdajodhpur/yahoo.com वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086


क्रमांकः F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2022/ 1955 दिनांकः– 14/3/22

**–:कार्यवाही विवरण:–**

विषयः– भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान) की 02/2022 की बैठक दिनांक 15.02.2022 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, इसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट–''1'' पर है।

एजेण्डा संख्या 01 :–

विषय :– भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान) की 10/2021 वीं बैठक दिनांक 02.12.2021 जोन दक्षिण के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

निर्णय :– समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श उपरान्त गत बैठक के कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

एजेण्डा संख्या 02

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2022 | दक्षिण | सालावास | 129/93 | 00.16.14 बीघा | औद्योगिक प्रयोजनार्थ |
| आवेदक | श्रीमती रामप्यारी पत्नी श्री मुन्नीलाल देवडा | | | | |
| विषयः– | औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत् | | | | |
| निर्णयः– | समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श प्रकरण में खसरा संख्या 129 के कुल रकबा में मौके पर जमाबंदी से अधिक क्षेत्रफल व प्राधिकरण भूमि की जोन स्तर पर नियमानुसार जांच कर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। | | | | |

एजेण्डा संख्या 03

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2022 | दक्षिण | सालावास | 129/37 | 01.00.14 बीघा | औद्योगिक प्रयोजनार्थ |
| आवेदक | श्री चन्द्रसिंह देवडा पुत्र श्री मुन्नीलाल देवडा | | | | |
| विषयः– | औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत् | | | | |
| निर्णयः– | समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श प्रकरण में खसरा संख्या 129 के कुल रकबा में मौके पर जमाबंदी से अधिक क्षेत्रफल व प्राधिकरण भूमि की जोन स्तर पर नियमानुसार जांच कर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। | | | | |

एजेण्डा संख्या 04

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2022 | दक्षिण | सालावास | 129/95 | 00.18.10 बीघा | औद्योगिक प्रयोजनार्थ |
| आवेदक | श्रीमती सुखीदेवी पत्नी श्री भानाराम जी | | | | |

| | |
|---|---|
| विषयः– | औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत् |
| निर्णयः– | समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श प्रकरण में खसरा संख्या 129 के कुल रकबा में मौके पर जमाबंदी से अधिक क्षेत्रफल व प्राधिकरण भूमि की जोन स्तर पर नियमानुसार जांच कर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। |

एजेण्डा संख्या 05

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2022 | दक्षिण | सालावास | 272/18, 266/12 | 01.00.13 बीघा | *औद्योगिक प्रयोजनार्थ* |

| | |
|---|---|
| आवेदक | श्री नरेन्द्र तातेड पुत्र श्री मोहनराज तातेड |
| विषयः– | औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत् |
| निर्णयः– | **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–**<br>1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि को उपलब्ध 60 फीट सडक मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।<br>2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ–पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय पट्टे पर Non-Obnoxious Industries का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावें।<br>3. जमाबंदी से अधिक क्षेत्रफल की भूमि के स्वामित्व की जांच कर जोन स्तर से नियमानुसार राशि लिए जाने की कार्यवाही की जावें।<br>4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।<br>5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।<br>6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। |

एजेण्डा संख्या 06

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2022 | दक्षिण | सालावास | 119/4 | 04.03.00 बीघा | *कृषि आधारित उद्योग प्रयोजनार्थ* |

| | |
|---|---|
| आवेदक | श्री जालाराम पुत्र श्री पदमाराम |
| विषयः– | कृषि आधारित उद्योग एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत् |
| निर्णयः– | **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–**<br>1. आवेदित भूमि मुख्य बोरानाडा–सालावास रोड पर स्थित है, जिसका मार्गाधिकार मास्टर डवलपमेंट प्लान–2031 अनुसार 160 फीट रखा जावें। आवेदित भूमि को नाले के उपर से पहुंच मार्ग प्राप्त हो रहा है जिसमें नाले की सीमा से 60 फीट सडक |

| | |
|---|---|
| | रखी जावें। साथ ही आवेदित भूमि के दक्षिण–पश्चिम दिशा में स्थित रास्ते की चौडाई 60 फीट रखी जावें। सडक मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।<br>2. आवेदक द्वारा फूड प्रोसेसिंग यूनिट हेतु जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त की सुनिश्चितता जोन स्तर से की जावें।<br>3. जमाबंदी से अधिक क्षेत्रफल की भूमि के स्वामित्व की जांच कर जोन स्तर से नियमानुसार राशि लिए जाने की कार्यवाही की जावें।<br>4. जोन उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि में मौके पर निर्माण के संबंध में राज्य सरकार के आदेश कमांक प.18(25) नविवि/सामान्य/2014 दिनांक 03.07.2020 के अनुसार शास्ती ली जावें एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें।<br>5. आवेदित भूमि कॉरपोरेट पार्क में स्थित है। अतः सुरक्षात्मक दृष्टि के परिप्रेक्ष्य में प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कृषि आधारित उद्योग उपविधिया के अनुसार सैटबैक व अन्य प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जावें।<br>6. प्रकरण में संशोधित 90/क की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावें।<br>7. आवेदित भूमि तथा सडक के मध्य बिन्दु से दूरी बाबत् जोन से टिप्पणी प्राप्त की जावें।<br>8. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।<br>9. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।<br>10. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। |

एजेण्डा संख्या 07

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2022 | दक्षिण | सालावास | 72/7 | 06.01.03 बीघा | *औद्योगिक प्रयोजनार्थ* |

| | |
|---|---|
| आवेदक | श्री पतराम विश्नोई पुत्र श्री मोहनलाल विश्नोई |
| विषयः– | औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत् |
| निर्णयः– | **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–**<br>1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि को उपलब्ध 100 फीट सडक मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।<br>2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ–पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय पट्टे पर Non-Obnoxious Industries का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावें।<br>3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें। |

| | |
|---|---|
| | 4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।<br>5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। |

एजेण्डा संख्या 08

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2022 | दक्षिण | सालावास | 103/27 | 00.17.12 बीघा | *औद्योगिक प्रयोजनार्थ* |
| आवेदक | श्री सौरभ भण्डारी पुत्र श्री सुनिल भण्डारी | | | | |
| विषयः– | औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत् | | | | |
| निर्णयः– | समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श प्रकरण में खसरा संख्या 103 के कुल रकबा में मौके पर जमाबंदी से अधिक क्षेत्रफल व प्राधिकरण भूमि की जोन स्तर पर नियमानुसार जांच कर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। | | | | |

एजेण्डा संख्या 09

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2022 | दक्षिण | सालावास | 129/14 | 04.13.00 बीघा | *औद्योगिक प्रयोजनार्थ* |
| आवेदक | श्रीमती रामप्यारी/श्रीमती सुखीदेवी, श्री मुन्नीलाल देवडा/श्री भानाराम | | | | |
| विषयः– | औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत् | | | | |
| निर्णयः– | समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श प्रकरण में खसरा संख्या 129 के कुल रकबा में मौके पर जमाबंदी से अधिक क्षेत्रफल व प्राधिकरण भूमि की जोन स्तर पर नियमानुसार जांच कर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। | | | | |

एजेण्डा संख्या 10

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2022 | दक्षिण | लूणावास | 199 | 12.08.00 बीघा | *एग्रो वेयर हाउस* |
| आवेदक | श्री जोगाराम पुत्र श्री बींजाराम भील | | | | |
| विषयः– | एग्रो वेयर हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत् | | | | |
| निर्णयः– | समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। आवेदित भूमि पर एग्रोवेयर हाउस लगाया जाना प्रस्तावित है जिसका क्षेत्रफल 2 है0 से अधिक है। नविवि की अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के अनुसार न्यूनतम सडक मार्गाधिकार 24 मीटर आवश्यक है। बाद विचार–विमर्श प्रकरण में आवेदित भूमि तक 80 फीट रास्ता उपलब्ध नही होने के कारण प्रकरण को स्थगित किया गया। | | | | |

एजेण्डा संख्या 11

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2022 | दक्षिण | मोगडा खुर्द | 05 | 17.10.00 बीघा में से 12.00.00 बीघा | *हाउस होल्ड इण्डस्ट्रीज* |
| आवेदक | श्री सुबोध कुमार जौहरी पुत्र श्री ओमप्रकाश जौहरी, श्री राहुल जौहरी पुत्र श्री विनोदकुमार जौहरी | | | | |
| विषयः– | हाउस होल्ड इण्डस्ट्रीज एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत् | | | | |
| निर्णयः– | **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–**<br>1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि को उपलब्ध 80 फीट सडक मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।<br>2. मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 अनुसार आवेदित भूमि का भू–उपयोग आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है तथा प्रार्थी द्वारा हाउस होल्ड इण्डस्ट्रीज एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ आवेदन प्रस्तुत किया है, अतः सुरक्षात्मक दृष्टि से आवेदित भूमि के चारों तरफ न्यूनतम 9–9 मीटर सेटबेक का प्रावधान किया जावें।<br>3. आवेदक से आवेदित क्षेत्र को राजस्व मानचित्र में अंकन कर प्राप्त किया जावें तथा जोन स्तर से जॉच उपरान्त ले–आउट प्लान जारी किया जावें।<br>4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।<br>5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।<br>6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। | | | | |

एजेण्डा संख्या 12

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2022 | दक्षिण | जोधपुर | 900/751 | 00.11.06 बीघा | *व्यवसायिक* |
| आवेदक | श्री श्यामलाल भाटी पुत्र श्री बच्छराज भाटी | | | | |
| विषयः– | व्यवसायिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत् | | | | |
| निर्णयः– | **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श प्रकरण में निम्नलिखित निर्णय लिया गयाः–**<br>1. आवेदित भूमि तथा सडक के मध्य बिन्दु से दूरी बाबत् जोन से टिप्पणी प्राप्त की जावें। तदानुसार आवेदक से संशोधित मानचित्र प्राप्त किये जावें।<br>2. आवेदित भूमि के दक्षिण–पूर्व दिशा में मिल्कमेन कॉलोनी स्थित है। अतः मिल्कमेन कॉलोनी के अनुमोदित मानचित्र अनुसार जांच कर सडक की चौडाई का अंकन किया जावे। तथा दक्षिण–पूर्व एवम् उत्तर–पश्चिम दिशा में स्थित सडक मार्गाधिकार (आर.ओ.डब्ल्यू) में निर्मित दुकानों को हटाये जाने बाबत् जोन उपायुक्त द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावें। | | | | |

| | |
|---|---|
| | उपरोक्तानुसार बिन्दुओं के पूर्ति उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। |

एजेण्डा संख्या 13

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2022 | दक्षिण | भाण्डू खुर्द | 170/2 | 06.00.00 बीघा | *औद्योगिक प्रयोजनार्थ* |
| आवेदक | वान्या आर्टस् प्रोपराईटर श्रीमती अंजलि चौधरी पत्नी श्री पुनीत मिर्धा | | | | |
| विषयः– | औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत् | | | | |
| निर्णयः– | **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–**<br>1. आवेदित भूमि मुख्य भाण्डू–फींच डामर सडक पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार 100 फीट रखा जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।<br>2. आवेदित भूमि तथा सडक के मध्य बिन्दु से दूरी बाबत् जोन से टिप्पणी प्राप्त की जावें।<br>3. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ–पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय पट्टे पर Non-Obnoxious Industries का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावें।<br>4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।<br>5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।<br>6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। | | | | |

एजेण्डा संख्या 14

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2022 | दक्षिण | भाण्डू खुर्द | 170/7, 170/8 | 06.00.00 बीघा | औद्योगिक प्रयोजनार्थ |
| आवेदक | दयाल केसर आर्ट एण्ड क्राफ्ट जरिये प्रोपराईटर श्री पुनीत मिर्धा पुत्र श्री धर्मराम मिर्धा | | | | |
| विषयः– | औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत् | | | | |
| निर्णयः– | **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–**<br>1. आवेदित भूमि मुख्य भाण्डू–फींच डामर सडक पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार 100 फीट रखा जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।<br>2. आवेदित भूमि तथा सडक के मध्य बिन्दु से दूरी बाबत् जोन से टिप्पणी प्राप्त की जावें। | | | | |

| | |
|---|---|
| | 3. आवेदित भूमि के आगे स्थित सडक भाग में से विद्युत लाईन गुजर रही है जिसकी क्षमता व स्थिति के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की जावें।<br>4. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ–पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय पट्टे पर Non-Obnoxious Industries का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावें।<br>5. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।<br>6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।<br>7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। |

एजेण्डा संख्या 15

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2022 | दक्षिण | भाण्डू खुर्द | 170/6 | 09.13.00 बीघा | *औद्योगिक प्रयोजनार्थ* |

| | |
|---|---|
| आवेदक | M/S TRUE CARTONS PVT LTD जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्रीमती सुनिता शर्मा पत्नी श्री अनिल कुमार शर्मा |
| विषयः– | औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत् |
| निर्णयः– | **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–**<br>1. आवेदित भूमि मुख्य भाण्डू–फींच डामर सडक पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार 100 फीट रखा जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।<br>2. आवेदित भूमि तथा सडक के मध्य बिन्दु से दूरी बाबत् जोन से टिप्पणी प्राप्त की जावें।<br>3. आवेदित भूमि के आगे स्थित सडक भाग में से विद्युत लाईन गुजर रही है जिसकी क्षमता व स्थिति के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की जावें।<br>4. जमाबंदी से अधिक क्षेत्रफल की भूमि के स्वामित्व की जांच कर जोन स्तर से नियमानुसार राशि लिए जाने की कार्यवाही की जावें।<br>5. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ–पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय पट्टे पर Non-Obnoxious Industries का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावें।<br>6. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।<br>7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। |

| | |
|---|---|
| | 8. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। |

**एजेण्डा संख्या 16**

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2022 | दक्षिण | सांगरिया | 102/4 | 08.17.00 बीघा | *आवासीय (सी.एम.जे.ए.वाई के प्रावधान 3/बी के तहत)* |

| | |
|---|---|
| आवेदक | शुभम डवलपर्स जरिये भागीदार श्री धनसुख संकलेचा व अन्य |
| विषयः– | आवासीय (सी.एम.जे.ए.वाई के प्रावधान 3/बी के तहत) प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत् |
| निर्णयः– | **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–**<br>1. आवेदित भूमि के सामने 30 फीट सडक मार्गाधिकार की सुनिश्चितता जोन स्तर से की जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।<br>2. आवेदित भूमि में से विद्युत लाईन गुजर रही है जिसकी क्षमता व स्थिति के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की जावें।<br>3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज् में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।<br>4. सीएमजेएवाई की गाइडलाईन की पूर्ण पालना की जावें।<br>5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।<br>6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। |

**एजेण्डा संख्या 17**

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2022 | दक्षिण | लूणी | 931/836 | 15.00.00 बीघा में से 03.00.00 बीघा | *एग्रोवेयर हाउस* |

| | |
|---|---|
| आवेदक | श्रीमती संतोष पत्नी श्री श्रवणकुमार |
| विषयः– | एग्रो वेयर हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत् |
| निर्णयः– | **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–**<br>1. आवेदित भूमि राज्य राजमार्ग पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 अनुसार 200 फीट रखा जावें तथा तत्पश्चात 100 फीट वक्षारोपण पटटी का प्रावधान किया जावें। साथ ही आवेदित भूमि के दक्षिण–पश्चिम दिशा में प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार 60 फीट सडक मार्गाधिकार रखा जावें। सडक मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। |

| | |
|---|---|
| | 2. आवेदक से आवेदित क्षेत्र को राजस्व मानचित्र में अंकन कर प्राप्त किया जावें तथा जोन स्तर से जॉच उपरान्त ले–आउट प्लान जारी किया जावें।<br>3. मास्टर डवपलमेंट प्लान 2031 अनुसार आवेदित भूमि का भू–उपयोग यू–2 प्रयोजनार्थ आरक्षित है तथा प्रार्थी द्वारा एग्रोवेयर हाउस एकल भूखण्ड हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अतः सुरक्षात्मक दृष्टि से आवेदित भूमि के चारों ओर न्यूनतम 9 मीटर सैटबेक का प्रावधान किया जावें।<br>4. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ–पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय पट्टे पर Non-Obnoxious Industries का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावें।<br>5. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।<br>6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।<br>7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। |

एजेण्डा संख्या 18

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2022 | दक्षिण | कांकाणी | 908 / 1 | 03.16.00 बीघा | *औद्योगिक (Non-Polluting Handicraft Industries) प्रयोजनार्थ* |
| आवेदक | श्री श्रवणकुमार पुत्र श्री भीकाराम विश्नोई | | | | |
| विषयः– | औद्योगिक (Non-Polluting Handicraft Industries) एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत् | | | | |
| निर्णयः– | **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–**<br>1. आवेदित भूमि मुख्य जोधपुर–पाली रोड पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 अनुसार 200 फीट रखा जावें तथा तत्पश्चात 100 फीट वक्षारोपण पटटी का प्रावधान किया जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।<br>2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार आवेदित भूमि पर Non-Polluting Handicraft Industries ही अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से आवेदित भूमि पर प्रस्तावित उपयोग / प्रयोजन बाबत शपथ–पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावें।<br>3. मास्टर डवपलमेंट प्लान 2031 अनुसार आवेदित भूमि का भू–उपयोग यू–3 जोन में स्थित है। प्रार्थी द्वारा Non-Polluting Handicraft Industries एकल भूखण्ड हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अतः सुरक्षात्मक दृष्टि से आवेदित भूमि के चारों ओर न्यूनतम 9 मीटर सैटबेक का प्रावधान किया जावें। | | | | |

| | |
|---|---|
| | 4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।<br>5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।<br>6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। |

एजेण्डा संख्या 19

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2022 | दक्षिण | कुडी भगतासनी | 100/6 | 02.00.00 बीघा | *आवासीय योजना* |
| आवेदक | श्री मूलचंद मेहरा पुत्र श्री हुक्माराम जाट, श्री शरद चौधरी पुत्र श्री बालमुकन्द चौधरी | | | | |
| विषयः– | आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत् | | | | |
| निर्णयः– | **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–**<br>1. आवेदित भूमि के सामने नहर की राजस्व सीमा के पश्चात् जोनल डवलपमेंट प्लान की 60 फीट सडक का अंकन कर ले–आउट प्लान जारी किया जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।<br>2. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज् में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।<br>3. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें।<br>4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।<br>5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। | | | | |

एजेण्डा संख्या 20

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2022 | दक्षिण | लूणावास कलां | 12/4 नया खसरा संख्या 642/12 | 10.00.00 बीघा में से 05.00.00 बीधा | *नॉन पाल्यूटेड हैण्डीकाफ्ट इण्डस्ट्रीज* |
| आवेदक | श्रीमती पानीदेवी पत्नी श्री बाबुलाल | | | | |
| विषयः– | नॉन पाल्यूटेड इण्डस्ट्रीज एकल भूखण्ड में संशोधन बाबत् | | | | |

| | |
|---|---|
| निर्णयः– | समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श प्रकरण में बी.पी.सी एल.पी की बैठक दिनांक 02.12.2021 में लिये गये निर्णय को यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया। |

एजेण्डा संख्या 21

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2022 | दक्षिण | पाल | 226/4 | 05.08.04 बीघा अतिरिक्त भूमि 01.00.07 बीघा कुल रकबा 06.08.11 बीघा | *व्यवसायिक प्रयोजनार्थ* |
| आवेदक | श्री बाबुलाल सारण, श्री जगाराम सारण, श्री लिखमाराम सारण, श्री जसाराम सारण, एवं श्री शैलाराम सारण | | | | |
| विषयः– | व्यवसायिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत् | | | | |
| निर्णयः– | समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श प्रकरण में आवेदक से जमाबंदी अनुसार ही क्षेत्रफल (05.08.04 बीघा) का मानचित्र प्रस्तुत करने तथा वाणिज्यिक प्रयोजन में अन्तिम उपयोग बाबत् जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। | | | | |

एजेण्डा संख्या 22

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2022 | दक्षिण | कुडी भगतासनी | 316, 317, 319/1, 332 | 28.09.00 बीघा में से 01.00.00 बीघा | *आवासीय* |
| आवेदक | श्री प्रवीण खत्री पुत्र डॉ एम.एल खत्री | | | | |
| विषयः– | आवासीय एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत् | | | | |
| निर्णयः– | समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श प्रकरण में सहखातेदार होने के कारण आवेदक से समस्त सहखातेदारों की अनापत्ति प्राप्त की जावें अथवा प्रश्नगत भूमि की अलग से तरमीम करवाये जाने के उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। | | | | |

एजेण्डा संख्या 23

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2022 | दक्षिण | पाल | 550/5 | 01.01.00 बीघा में से 1627.43 वर्गमीटर | *वाणिज्यिक (पैट्रोल पम्प)* |
| आवेदक | श्री तुलसीराम पुत्र श्री पोकरराम जरिये खास मुख्त्यार श्री रूपाराम पुत्र श्री पुराराम | | | | |
| विषयः– | वाणिज्यिक (पैट्रोल पम्प) एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत् | | | | |
| निर्णयः– | समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–<br>1. आवेदित भूमि मुख्य पाल–सांगरिया बाईपास सडक पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 200 फीट रखा जावें। साथ ही राजस्थान (जोधपुर क्षेत्र) भवन विनियम 2020 अनुसार सडक मार्गाधिकार के पश्चात् न्यूनतम 10 मीटर भूमि बफर हेतु छोडी जावें एवम् इस 10 मीटर बफर में न्यूनतम 6 मीटर भूमि पर | | | | |

| | |
|---|---|
| | सघन वृक्षारोपण किया जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।<br>2. आवेदक से आवेदित क्षेत्र को राजस्व मानचित्र में अंकन कर प्राप्त किया जावें तथा जोन स्तर से जॉच उपरान्त ले–आउट प्लान जारी किया जावें।<br>3. आवेदित भूमि के 30 मीटर की परिधि के उपरान्त एवम् 50 मीटर परिधि के मध्य आवासीय गतिविधियॉ होने के कारण PESO द्वारा निर्धारित गाईडलाईनस् की पूर्ण पालना आवेदक स्तर से सुनिश्चित की जावें। साथ ही इस संबंध में PESO को पत्र जारी किया जावें तथा राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रतिलिपी प्रेषित की जावें।<br>4. आवेदित भूमि की 100 मीटर की परिधि में ज्वलनशील गतिविधि के संबंध में जोन से टिप्पणी प्राप्त की जावें।<br>5. राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड/संबंधित विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन की पूर्ण पालना की जावें।<br>6. आवेदित भूमि पर मौके पर निर्माण को पैट्रोल पम्प की स्थापना से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें।<br>7. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।<br>8. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।<br>9. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। |

एजेण्डा संख्या 24

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2022 | दक्षिण | पाल | 85/6 | 13.11.00 बीघा में से 01.08.08 बीघा | *वाणिज्यिक (पैट्रोल पम्प)* |
| आवेदक | श्री ढलाराम पुत्र श्री रूपाराम जाट | | | | |
| विषयः– | वाणिज्यिक (पैट्रोल पम्प) एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत् | | | | |
| निर्णयः– | **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–**<br>1. आवेदित भूमि मुख्य जोधपुर–जैसलमेंर बाईपास सडक पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 200 फीट रखा जावें। साथ ही राजस्थान (जोधपुर क्षेत्र) भवन विनियम 2020 अनुसार सडक मार्गाधिकार के पश्चात् न्यूनतम 10 मीटर भूमि बफर हेतु छोडी जावें एवम् इस 10 मीटर बफर में न्यूनतम 6 मीटर भूमि पर सघन वृक्षारोपण किया जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।<br>2. आवेदक से आवेदित क्षेत्र को राजस्व मानचित्र में अंकन कर प्राप्त किया जावें तथा जोन स्तर से जॉच उपरान्त ले–आउट प्लान जारी किया जावें।<br>3. राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड/संबंधित विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन की पूर्ण पालना की जावें।<br>4. प्रार्थी से संबंधित एजेन्सी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/पी.डब्ल्यू.डी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त किया जावे जिसकी सुनिश्चितता पट्टा विलेख जारी करने से पूर्व जोन स्तर पर की जावें। | | | | |

| | |
|---|---|
| | 5. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 हे0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।<br>6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।<br>7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। |

एजेण्डा संख्या 25

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2022 | दक्षिण | जोधपुर | 1059/740/18 व 1059/740/19 | 00.04.08 बीघा | *औद्योगिक प्रयोजनार्थ* |
| आवेदक | श्री पुखराज भंसाली पुत्र श्री चुन्नीलाल एवं श्रीमती शोभा भंसाली पत्नी श्री पुखराज भंसाली | | | | |
| विषयः– | औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत् | | | | |
| निर्णयः– | **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–**<br>1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि के सामने 80 फीट सडक मार्गाधिकार रखा जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।<br>2. आवेदित भूमि रीको क्षेत्र के समीप है अतः ले–आउट प्लान जारी करने से पहले आवेदित भूमि के रीको क्षेत्र में नही होने की सुनिश्चितता जोन स्तर से की जावें।<br>3. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ–पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय पट्टे पर Non-Obnoxious Industries का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावें।<br>4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 हे0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।<br>5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।<br>6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। | | | | |

एजेण्डा संख्या 26

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2022 | दक्षिण | जोधपुर | 1059/740/20 | 00.02.04 बीघा | *औद्योगिक प्रयोजनार्थ* |
| आवेदक | श्री सुनील कुमार जैन पुत्र श्री बंशीधर जैन | | | | |
| विषयः– | औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत् | | | | |

| निर्णयः– | समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–<br>1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि को उपलब्ध 80 फीट सडक मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।<br>2. आवेदित भूमि रीकों क्षेत्र के समीप है अतः ले–आउट प्लान जारी करने से पहले आवेदित भूमि के रीको क्षेत्र में नही होने की सुनिश्चितता जोन स्तर से की जावें।<br>3. आवेदित भूमि में मौके पर निर्माण के संबंध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 18(25) नविवि/सामान्य/2014 दिनांक 03.07.2020 के अनुसार शास्ती ली जावें एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें।<br>4. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ–पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय पट्टे पर Non-Obnoxious Industries का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावें।<br>5. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।<br>6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।<br>7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। |
|---|---|

एजेण्डा संख्या 27

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2022 | दक्षिण | जोधपुर–दक्षिण | 1029/740/6 | 01.05.12 बीघा | *औद्योगिक प्रयोजनार्थ* |
| आवेदक | मैसर्स हैरिटेज जरिये पार्टनर श्री संदीप सिंघवी पुत्र श्री एस.सी सिंघवी | | | | |
| विषयः– | औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत् | | | | |
| निर्णयः– | समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–<br>1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि को उपलब्ध 60 फीट सडक मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।<br>2. आवेदित भूमि रीकों क्षेत्र के समीप है अतः ले–आउट प्लान जारी करने से पहले आवेदित भूमि के रीको क्षेत्र में नही होने की सुनिश्चितता जोन स्तर से की जावें।<br>3. आवेदित भूमि में मौके पर निर्माण के संबंध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 18(25) नविवि/सामान्य/2014 दिनांक 03.07.2020 के अनुसार शास्ती ली जावें एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें।<br>4. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ–पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा | | | | | |

| | |
|---|---|
| | विलेख जारी करते समय पट्टे पर Non-Obnoxious Industries का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावें।<br>5. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।<br>6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।<br>7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। |

एजेण्डा संख्या 28

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2022 | दक्षिण | जोधपुर–दक्षिण | 1029/740/4, 1029/740/5 | 04.12.11 बीघा | *औद्योगिक प्रयोजनार्थ* |

| | |
|---|---|
| आवेदक | मणिधारी गम्स् एण्ड केमिकल्स जरिये भागीदार श्री मनीष छाजेड पुत्र श्री धर्मचन्द छाजेड |
| विषयः– | औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत् |
| निर्णयः– | **समिति द्वारा एजेण्डा वं पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–**<br>1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि को उपलब्ध 60 फीट सडक मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।<br>2. आवेदित भूमि रीको क्षेत्र के समीप है अतः ले–आउट प्लान जारी करने से पहले आवेदित भूमि के रीको क्षेत्र में नही होने की सुनिश्चितता जोन स्तर से की जावें।<br>3. आवेदित भूमि में मौके पर निर्माण के संबंध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 18(25) नविवि/सामान्य/2014 दिनांक 03.07.2020 के अनुसार शास्ती ली जावें एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें।<br>4. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ–पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय पट्टे पर Non-Obnoxious Industries का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावें।<br>5. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।<br>6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।<br>7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। |

एजेण्डा संख्या 29

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2022 | दक्षिण | जोधपुर | 1059/740/15, 1059/740/16 | 00.04.08 बीघा | *औद्योगिक प्रयोजनार्थ* |
| आवेदक | श्री सुनिल कुमार जैन एवं श्रीमती मोनिका कुमारी जैन, श्री जवरीलाल कांकरिया एवं श्री सुनिल जैन | | | | |
| विषयः– | औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत् | | | | |
| निर्णयः– | **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–**<br>1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि को उपलब्ध 80 फीट सडक मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।<br>2. आवेदित भूमि रीकों क्षेत्र के समीप है अतः ले–आउट प्लान जारी करने से पहले आवेदित भूमि के रीको क्षेत्र में नही होने की सुनिश्चितता जोन स्तर से की जावें।<br>3. आवेदित भूमि में मौके पर निर्माण के संबंध में राज्य सरकार के आदेश कमांक प. 18(25) नविवि/सामान्य/2014 दिनांक 03.07.2020 के अनुसार शास्ती ली जावें एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें।<br>4. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ–पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय पट्टे पर Non-Obnoxious Industries का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावें।<br>5. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।<br>6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।<br>7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। | | | | |

एजेण्डा संख्या 30

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2022 | दक्षिण | जोधपुर | 1059/740/21 | 00.02.07 बीघा | *औद्योगिक प्रयोजनार्थ* |
| आवेदक | श्री रमेश कुमार मालवीय एवं नारायण लाल पुत्र श्री खंगार राम मालवीय | | | | |
| विषयः– | औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत् | | | | |
| निर्णयः– | **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–**<br>1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि को उपलब्ध 80 फीट सडक मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। | | | | |

| | |
|---|---|
| | 2. आवेदित भूमि रीकों क्षेत्र के समीप है अतः ले–आउट प्लान जारी करने से पहले आवेदित भूमि के रीको क्षेत्र में नही होने की सुनिश्चितता जोन स्तर से की जावें।<br>3. आवेदित भूमि में मौके पर निर्माण के संबंध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 18(25) नविवि/सामान्य/2014 दिनांक 03.07.2020 के अनुसार शास्ती ली जावें एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें।<br>4. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ–पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय पट्टे पर Non-Obnoxious Industries का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावें।<br>5. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।<br>6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।<br>7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। |

एजेण्डा संख्या 31

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2022 | दक्षिण | जोधपुर–दक्षिण | 1059/740/06 | 00.04.04 बीघा | *औद्योगिक प्रयोजनार्थ* |
| आवेदक | श्री मनीष मेडतिया पुत्र श्री लाभचंद जैन, श्री मोहित जैन पुत्र श्री गौतमचन्द जैन | | | | |
| विषयः– | औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत् | | | | |
| निर्णयः– | **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–**<br>1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि को उपलब्ध 60 फीट सडक मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।<br>2. आवेदित भूमि रीकों क्षेत्र के समीप है अतः ले–आउट प्लान जारी करने से पहले आवेदित भूमि के रीको क्षेत्र में नही होने की सुनिश्चितता जोन स्तर से की जावें।<br>3. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ–पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय पट्टे पर Non-Obnoxious Industries का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावें।<br>4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।<br>5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। | | | | |

| | |
|---|---|
| | 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। |

एजेण्डा संख्या 32

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2022 | दक्षिण | पाल | 285/16, 285/17 | 01.02.00 बीघा | *व्यवसायिक* |
| आवेदक | श्रीमती शांन्तिदेवी पत्नी श्री बाबुलाल लढढा, श्री रामेश्वर गांधी पुत्र श्री इग्याराम | | | | |
| विषयः— | व्यवसायिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत् | | | | |
| निर्णयः— | **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार—विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले—आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः—**<br>1. आवेदित भूमि मुख्य जोधपुर—जैसलमेंर बाईपास सडक पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 200 फीट रखा जावें तथा उसके पश्चात् 30 मीटर वृक्षारोपण पट्टी का प्रावधान किया जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।<br>2. आवेदित भूमि में मौके पर निर्माण के संबंध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 18(25) नविवि/सामान्य/2014 दिनांक 03.07.2020 के अनुसार शास्ती ली जावें एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें।<br>3. प्रार्थी से व्यवासायिक उपयोग में विशिष्टीकृत उपयोग बाबत् टिप्पणी आवेदक से प्राप्त की जावें।<br>4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।<br>5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ—पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ—पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।<br>6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। | | | | | |

एजेण्डा संख्या 33

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2022 | दक्षिण | पाल | 323/10 | 04.00.00 बीघा | *आवासीय प्रयोजनार्थ* |
| आवेदक | श्री गुलाबसिंह, श्री अणदुसिंह व श्री जसवंतसिंह पुत्रान् स्व. श्री रघुनाथसिंह | | | | |
| विषयः— | आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले—आउट प्लान अनुमोदन बाबत् | | | | |
| निर्णयः— | **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार—विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले—आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः—**<br>1. आवेदित भूमि को प्राधिकरण द्वारा पूर्व में अनुमोदित योजना से 40 फीट पहुंच मार्ग उपलब्ध हो रहा है, जिसकी सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावें।<br>2. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें। | | | | | |

| | |
|---|---|
| | 3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज् में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।<br>4. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें।<br>5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।<br>6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। |

**आयुक्त महोदय द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई। उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।**

**उप नगर नियोजक (प्रथम)**
**एवं सदस्य सचिव**
भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांकः F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2022/ 1956-1962 दिनांकः– 14/3/22

**प्रतिलिपि :– निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।**

1. वरिष्ठ निजी सहायक, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. वरिष्ठ निजी सहायक, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. निदेशक (अभियांत्रिकी/आयोजना), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त (उत्तर/दक्षिण), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
5. एसीपी/एनआईसी शाखा को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

**उप नगर नियोजक (प्रथम)**
**एवं सदस्य सचिव**
भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकर, जोधपुर

**परिशिष्ट–"1"**

भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान) की 02/2022 वीं बैठक दिनांक 15.02.2022 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थीः–

1. डॉ इन्द्रजीत यादव, आयुक्त, जो.वि.प्रा., जोधपुर। — अध्यक्ष
2. श्री हरभान मीणा, सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर। — सदस्य
3. श्री राजेश वर्मा, निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर। — सदस्य
4. श्री लाडूराम विश्नोई, निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर। — सदस्य
5. श्रीमति चंचल वर्मा उपायुक्त (उत्तर) जो.वि.प्रा. जोधपुर — सदस्य
6. श्री राजेन्द्र सिंह चान्दावत उपायुक्त (दक्षिण) जो.वि.प्रा. जोधपुर — सदस्य
7. श्री अनुज अग्रवाल, उप नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर। — सदस्य सचिव

उप नगर नियोजक (प्रथम)
एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर